विचार बिन्दु

दया चरित्र को सुन्दर बनाती है। –जेम्स एलन

राजस्थान: सौर ऊर्जा की भूमि, भविष्य की ऊर्जा का अग्रदूत

राजस्थान की पहचान अब केवल रेगिस्तान, किलों, लोक संस्कृति और वीरगाथाओं तक सीमित नहीं रही। यह राज्य धीरे-धीरे देश की ऊर्जा नीति के केंद्र में आ रहा है। यहाँ की तपती धरती, विस्तृत खुले मैदान, वर्ष भर की तीव्र धूप और विशाल थार मरुस्थल सौर ऊर्जा के लिए प्रकृति का वरदान सिद्ध हो रहे हैं। जहाँ कभी सूरज की तपिश को जीवन के लिए कठिनाई माना जाता था, वहीं आज वही सूरज राजस्थान के विकास का सबसे बड़ा साथी बनता जा रहा है। सौर ऊर्जा अब केवल बिजली उत्पादन का विषय नहीं है; यह राजस्थान के ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक व्यापक राज्य-विकास का मुद्दा बन चुकी है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान भारत के सौर ऊर्जा भविष्य का अग्रदूत बन सकता है।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे सौर ऊर्जा के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, पाली और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में साल भर लगभग निरंतर सूर्यप्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ बादलों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रहती है और सौर विकिरण की तीव्रता अधिक होती है। थार के विशाल रेतीले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी कम है, जिससे बड़े सौर पार्क स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध है। यही कारण है कि राजस्थान में देश के कुछ सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं और अनेक नई परियोजनाएँ निरंतर विकसित हो रही हैं। भदला सौर पार्क जैसी परियोजनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान की धरती न केवल बड़े उद्योगों को आतिथ्य दे सकती है, बल्कि राष्ट्र को स्वच्छ बिजली भी दे सकती है।

सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला जलाकर बिजली बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अनेक हानिकारक कण वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। ये प्रदूषक वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं, जलवायु परिवर्तन को तीव्र करते हैं और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। राजस्थान जैसे राज्य में, जहाँ गर्मी अधिक रहती है और जल संकट गंभीर है, वहाँ पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता का प्रभाव और भी अधिक भयावह हो सकता है। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली उत्पादन के दौरान ऐसे प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होते। इसलिए जब राजस्थान अपनी बढ़ती बिजली आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा करेगा, तो वह न केवल अपने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देगा, बल्कि राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। सौर ऊर्जा अब इतनी सस्ती हो चुकी है कि अनेक स्थितियों में यह जीवाश्म ईंधन से बेहतर विकल्प साबित हो रही है।

राजस्थान के लिए सौर ऊर्जा का महत्व केवल बड़े संयंत्रों तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तब दिखेगा, जब यह आम नागरिक के घर, खेत, स्कूल, अस्पताल और गाँव की गलियों तक पहुँचेगी। राज्य के दूरस्थ गाँवों में बिजली आपूर्ति अक्सर अनियमित रही है। ऐसे क्षेत्रों में सौर लैंप, सौर पंप और छोटे सौर प्लांट जीवन की गुणवत्ता बदल सकते हैं। किसान सौर पंप से सिंचाई कर सकते हैं, जिससे डीजल पर खर्च कम होगा और धुएँ से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा। स्कूलों में सौर ऊर्जा से पंखे, लाइट, कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा के साधन चलाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में निरंतर बिजली से दवाओं का भंडारण, जाँच उपकरणों का संचालन और रात्रि में इलाज संभव होगा। इस प्रकार सौर ऊर्जा ग्रामीण राजस्थान की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार को नई दिशा दे सकती है।

राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में सौर ऊर्जा की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूजल गहरा है और सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में बिजली या डीजल की आवश्यकता होती है। डीजल पंपों पर निर्भरता किसानों की लागत बढ़ाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। सौर पंप इस समस्या का टिकाऊ समाधान हो सकते हैं। दिन में जब सूरज तेज होता है, तब सिंचाई की जरूरत भी अधिक होती है; इसलिए सौर पंप की उपयोगिता प्राकृतिक रूप से अनुकूल है। यदि किसानों को सौर पंपों की उचित सहायता, रखरखाव सेवा और प्रशिक्षण दिया जाए, तो कृषि लागत घट सकती है और उत्पादकता बढ़ सकती है। इसके साथ ही खेतों के किनारे या खलिहानों में लगाए गए सौर पैनल किसानों को अतिरिक्त आय का साधन भी बन सकते हैं।

राजस्थान में सौर ऊर्जा का विस्तार रोजगार की नई संभावनाएँ भी पैदा कर रहा है। सौर पैनलों के निर्माण, परिवहन, स्थापना, मरम्मत, बिक्री, बैटरी प्रबंधन और ग्रिड से जोड़ने जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होती है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और अन्य जिलों में सौर परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। इसके लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। यदि राजस्थान के युवाओं को सौर तकनीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर और रखरखाव विशेषज्ञ बनने का अवसर मिले, तो राज्य केवल बिजली का उत्पादक ही नहीं, बल्कि ऊर्जा कौशल का केंद्र भी बनेगा। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को विविधता देगा और प्रवासन को कम करने में भी सहायक होगा।

सौर ऊर्जा का एक विशेष पहलू यह है कि इसे विकेंद्रित रूप से अपनाया जा सकता है। बड़े ताप विद्युत संयंत्रों या जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विशाल बुनियादी ढाँचा चाहिए, जबकि सौर पैनल एक छोटे घर की छत से लेकर बड़े औद्योगिक परिसर तक कहीं भी लगाए जा सकते हैं। राजस्थान के शहरों-जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर-में सरकारी भवनों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बहुमंजिला आवासीय परिसरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जा सकते हैं। इससे भूमि की बचत होगी और शहरी क्षेत्रों में बिजली की माँग का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय स्तर पर पूरा होगा। जयपुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बिजली की माँग निरंतर बढ़ रही है और वायु प्रदूषण भी चिंता का विषय बन रहा है।

सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा का स्त्रोत है। कोयला जलाकर बिजली बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अनेक हानिकारक कण वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इसे सौर ऊर्जा के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती है।

फिर भी यह मानना कि सौर ऊर्जा के सामने कोई चुनौती नहीं है, यथार्थवादी नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सूर्य रात में नहीं चमकता और बादलों, धूल भरी आँधियों या वर्षा के समय उत्पादन घट जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल और रेत का पैनलों पर जमना एक सामान्य समस्या है। धूल जमा होने से पैनलों की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए नियमित सफाई, स्वच्छ पैनल तकनीक और स्थानीय रखरखाव व्यवस्था आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रात में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए बैटरी संग्रहण या ग्रिड से जुड़ाव आवश्यक है। बैटरी की लागत अभी भी अधिक है और उसके निपटान की समस्या भी गंभीर है। इसलिए सौर ऊर्जा को अकेले नहीं, बल्कि पवन ऊर्जा, जल विद्युत और आधुनिक ग्रिड प्रणाली के साथ मिलाकर अपनाया जाना चाहिए। राजस्थान में पवन ऊर्जा की भी अच्छी क्षमता है, विशेषकर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में। सौर और पवन ऊर्जा का संयुक्त उपयोग राज्य को अधिक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति दे सकता है।

दूसरी चुनौती भूमि की उपलब्धता और उसके उचित उपयोग से जुड़ी है। बड़े सौर पार्कों के लिए विशाल भूमि चाहिए। राजस्थान में अनुपयोगी और रेतीली भूमि उपलब्ध है, जो सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है। परंतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कृषि भूमि का उपयोग सौर परियोजनाओं के लिए इस तरह न हो कि किसानों की आजीविका प्रभावित हो। सौर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, उचित मुआवजा और स्थानीय लोगों की सहमति आवश्यक है। साथ ही नहरों के किनारे, रेलवे के आसपास, जलाशयों पर तैरते सौर पैनलों और छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तैरते सौर प्लांट से जलाशयों में जल वाष्पीकरण भी कम हो सकता है, जो जल संरक्षण की दृष्टि से राजस्थान जैसे राज्य के लिए विशेष लाभदायक है।

सौर पैनलों के जीवनकाल के बाद उनका निपटान भी एक गंभीर मुद्दा है। सौर पैनलों में काँच, एल्युमीनियम, सिलिकॉन और कुछ अन्य तत्व होते हैं। यदि पुराने पैनलों का उचित पुनर्चक्रण न हो, तो वे भविष्य में सौर कचरे की समस्या पैदा कर सकते हैं। अनुमान है कि भविष्य में भारत में सौर कचरे की मात्रा लाखों टन तक पहुँच सकती है। राजस्थान में बड़े सौर पार्कों के विकास के साथ ही पुनर्चक्रण केंद्र, निपटान नियम और जिम्मेदार निर्माता दायित्व पर ध्यान देना आवश्यक है। सौर ऊर्जा को वास्तव में स्वच्छ बनाने के लिए उसके जन्म से लेकर अंत तक की प्रक्रिया को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। यही सतत विकास का वास्तविक अर्थ है।

सौर ऊर्जा के विस्तार में जन-जागरूकता की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक लोग यह मानते हैं कि सौर पैनल महंगे होते हैं, इनका रखरखाव कठिन है या ये केवल धनी वर्ग के लिए उपयोगी हैं। यह धारणा बदलनी होगी। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के माध्यम से सौर ऊर्जा के लाभ, लागत, सरकारी योजनाओं और सफल उदाहरणों की जानकारी दी जानी चाहिए। जब एक गाँव का कोई किसान सौर पंप से सिंचाई करके बचत करता है, तो वह उदाहरण आसपास के गाँवों के लिए प्रेरणा बनता है। इसी प्रकार शहरों में सफल सौर रूफटॉप परियोजनाएँ अन्य लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। राजस्थान की जनता को यह समझाना होगा कि सौर ऊर्जा केवल बिजली बिल घटाने का साधन नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य में निवेश है।

सौर ऊर्जा केवल वैज्ञानिक या आर्थिक विषय नहीं है; यह नैतिक और सांस्कृतिक दायित्व भी है। राजस्थान की लोक परंपरा में सूर्य की पूजा, सूर्य अर्घ्य और सूर्य के प्रति श्रद्धा की परंपरा गहराई तक व्याप्त है। यहाँ के लोग सूरज को जीवन दायिनी शक्ति मानते आए हैं। आज वही सूरज राज्य को स्वच्छ बिजली, रोजगार और आत्मनिर्भरता का साधन दे रहा है। यदि हम अपनी परंपरा की दृष्टि से देखें, तो सौर ऊर्जा केवल तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद का आधुनिक रूप है। यह हमें याद दिलाती है कि विकास प्रकृति के विरुद्ध नहीं, प्रकृति के साथ होना चाहिए।

अंत में कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य आवश्यकता और अपार संभावना है। यह राज्य अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्र का अग्रणी बन सकता है। सौर ऊर्जा से राजस्थान को स्वच्छ वातावरण, कम बिजली लागत, ग्रामीण विकास, कृषि सुधार, रोजगार और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मिल सकती है। परंतु इसकी सफलता केवल पैनल लगाने से नहीं होगी। इसके लिए बैटरी संठाहण, आधुनिक ग्रिड, कचरा प्रबंधन, भूमि नीति, जन-जागरूकता, प्रशिक्षण और निरंतर शोध आवश्यक हैं। सौर ऊर्जा को पवन और अन्य नवीकरणीय स्त्रोतों के साथ मिलाकर अपनाया जाए, तो राजस्थान भारत के ऊर्जा भविष्य की रीढ़ बन सकता है। सूरज हर प्रभात राजस्थान की धरती पर निःशुल्क ऊर्जा देकर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने घर, गाँव, शहर और राज्य को स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाएँ। यही आमंत्रण स्वीकार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

संवैधानिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के अभाव में शिक्षा रूपी शेरनी का दूध बिक रहा है

मदन सिंह काला

भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कहा था कि 'शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पियेगा वह दहाड़ेगा'। यह वाक्य आज भी हर स्कूल की दीवार पर लिखा मिल जाता है, पर उस दूध की कीमत अब इतनी लिख दी गई है कि गरीब का बच्चा उसे देख भी नहीं पाता। बाबा साहब का मतलब था कि शिक्षा कमजोर को ताकत देती है, उसे अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाती है। पर आज की हकीकत यह है कि शिक्षा आम बच्चे के लिए दूर का सपना बन रही है।

बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षा को दया नहीं, अधिकार बनाया था। मूल संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 10 साल में 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगा, पर वह नीति निर्देशक तत्व में था। इसे मूल अधिकार बनाने के लिए पहला बड़ा कदम 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ। इसने अनुच्छेद 21 जोड़कर कहा कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 45 को बदलकर 6 साल से कम के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल, यानी बालवाटिका की जिम्मेदारी दी और अनुच्छेद 51ए(के) में माता-पिता का कर्तव्य जोड़ा। इस अधिकार को जमीन पर उतारने का दूसरा कदम मनमोहन सिंह सरकार ने उठाया, 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। उसी कानून की धारा 27 कहती है शिक्षक को गैर-शैक्षिणक कार्य में नहीं लगाया जाएगा और धारा 13 कहती है प्रवेश पर कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। अनुच्छेद 41 और 46 कहते हैं राज्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की विशेष रक्षा करेगा।

इतनी मजबूत व्यवस्था के बाद भी शिक्षा रूपी दूध बाजार में क्यों बिक रहा है, इसका जवाब एक दादा की पुकार दे रही है। इस पुकार के अनुसार कक्षा 3 के बच्चे की फीस की रसीद है - 2023 में 75,000 रुपये सीड मनी के नाम पर जमा करवाए गए, जो सीधे आरटीई की धारा 13 का उल्लंघन है। अब हर तीन महीने 27,800 रुपये, यानी साल के 1,11,200 रुपये। किताब, यूनिफॉर्म, वैन अलग, साल का डेढ़ लाख से ऊपर। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं, यह देश के करोड़ों दादा-दादियों की पुकार है। सरकार देख रही है कि देश का आम बच्चा शिक्षा से महरूम हो रहा है, और देखते-देखते इस अधिकार को ही व्यापार बना दिया गया है।

इसकी शुरुआत जीवन के पहले कदम से ही हो जाती है। सरकार कागज पर कहती है कि तीन से छह साल तक बालवाटिका मुफ्त है, जो अनुच्छेद 45 की जिम्मेदारी है। पर जमीन पर माँ-बाप तीन साल के बच्चे को लेकर अंठोजी मीडियम के गेट पर खड़े हैं। आज एक आम मध्यम प्राइवेट स्कूल में एलकेजी में प्रवेश के दिन ही पचास हजार रुपये किट के नाम पर ले लिए जाते हैं। फिर हर तीन महीने पर दस हजार रुपये फीस। वैन, फंक्शन मिलाकर पहले साल का कुल एक लाख पाँच हजार। अगले साल यूकेजी में फिर तीस हजार का किट, फीस आठ प्रतिशत बढ़कर चौवालीस हजार। सिर्फ दो साल में एक परिवार एक लाख चौरानवे हजार दे देता है। सरकारी बालवाटिका में खर्च शून्य है।

फिर भी लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल पर से भरोसा उठता जा रहा है। शिक्षक स्कूल में कम, चुनाव, जनगणना, बीएलओ में ज्यादा, जो धारा 27 का उल्लंघन है। यहीं से शेरनी का दूध बिकना शुरू होता है।

यह लूट सिर्फ शुरुआत है। हर साल आठ प्रतिशत वृद्धि से एलकेजी से बारहवीं तक अठारह लाख। सरकारी में चौदह साल का खर्च पैंतीस हजार। फर्क अठारह लाख का। आरटीई कहता है पच्चीस प्रतिशत गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाओ, पर राजस्थान में साठ प्रतिशत स्कूलों ने एक भी बच्चा नहीं लिया, जो अनुच्छेद 46 की अवहेलना है।

बारहवीं के बाद हर रास्ते पर टोल है। आईटीआई सरकारी ढाई से सात हजार, प्राइवेट बीस से पैंतालीस हजार। पॉलिटेक्निक सरकारी आठ हजार, प्राइवेट पैंतालीस से अस्सी हजार। बीए, बीएससी, बीकॉम सरकारी ढाई से बारह हजार, प्राइवेट पच्चीस से अस्सी हजार। बीटेक सरकारी साढ़े तीन लाख, प्राइवेट आठ से दस लाख। एमबीबीएस सरकारी चार लाख, प्राइवेट साठ लाख से सवा करोड़। एनएलयू जोधपुर में एक साल तीन लाख पैंतालीस हजार, बैंगलोर में चार लाख अठासी हजार, पाँच साल में सत्रह से उन्नीस लाख, प्राइवेट लॉ में तीस से पैंतीस लाख। यह सरकारी होते हुए भी अनुच्छेद 41 के खिलाफ है।

पूरा जोड़ लगाएं तो एलकेजी से बारहवीं तक अठारह लाख, कोचिंग दो लाख, बीटेक सरकारी साढ़े तीन लाख, कुल साढ़े तेईस लाख। एमबीबीएस प्राइवेट एक करोड़ से ऊपर, एनएलयू सरकारी अड़तीस लाख। वहीं सरकारी व्यवस्था से बीटेक चार लाख और एमबीबीएस पाँच लाख में हो जाता है।

सरकार ने इसे महंगा होने दिया। ग्रांट घटाई और संस्थानों से कहा अपनी कमाई खुद करो। आईआईटी फीस 2015 में नब्बे हजार थी, आज दो लाख बीस हजार है।

और यहीं से विस्फोटक स्थिति बनती है। यदि शिक्षा मुफ्त नहीं हुई तो खाई दीवार बन जाएगी। अमीर का बच्चा तीन साल से अंग्रेजी, कंप्यूटर, कोचिंग में पलेगा, गरीब का बच्चा शिक्षक का इंतजार करेगा। जब शिक्षा बिकेगी तो मानव ही मानव का शोषक बनेगा। एक करोड़ में डॉक्टर बना व्यक्ति बीस रुपये फीस नहीं लेगा, पैंतीस लाख में वकील बना व्यक्ति गरीब की पैरवी मुफ्त नहीं करेगा। शिक्षा ने उसे शेर नहीं, शिकारी बना दिया।

देश में पैंसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस साल से कम है। उसे बाहर किया तो वह नशे, अपराध या व्यवस्था से नफरत की ओर जाएगी। फ्रांस की क्रांति से लेकर नक्सल आंदोलन तक, जड़ में यही था कि पढ़ने का अधिकार कुछ हाथों में सिमट गया था। मुफ्त शिक्षा कोई दया नहीं, देश की सुरक्षा है एवं उसे कुशल नागरिक देती है।

इसलिए एक दादा की पुकार में चार मांगें हैं। एक, जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो ताकि 21ए लागू हो। दो, सख्त फीस प्राधिकरण बने जो सीड मनी और किट के नाम पर वसूली पर रोक लगाए। तीन, शिक्षकों को धारा 27 के अनुसार गैर-शैक्षिणक कार्यों से मुक्ति मिले। चार, उच्च शिक्षा में अनुदान वापस आए।

बाबा साहब ने शिक्षा रूपी दूध को मुफ्त देने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया था। वह दूध अब अनुच्छेद 21ए है जो हर बच्चे का मूल अधिकार है। 27,800 रुपये की तिमाही रसीद बताती है कि वह अधिकार आज बाजार में बिक रहा है और सरकार इसे देख रही है। आमजन इससे बेखबर है। अतः शिक्षा को मुफ्त कर, इस क्षेत्र में संपूर्ण देश के भविष्य बच्चों को समानता की ओर ले जाना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। तभी हमारे देश का भविष्य हर बच्चा शेर होकर, अर्थात निडर होकर देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभा सकेगा।

-मदन सिंह काला,
सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी

दशहरा विवाद और भारतीय पंथनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ-संविधान सभा की बहसें, धर्म की अवधारणा व भारत की सभ्यतागत विरासत

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

दशहरे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पूजा-अर्चना किए जाने को राजनीतिक दलों का एक वर्ग पंथनिरपेक्षता के आदर्शों के विपरीत बताता है। यह बहस एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाती है-क्या भारतीय पंथनिरपेक्षता का अर्थ सार्वजनिक जीवन में अपनी सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति से परहेज करना है? अथवा भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की गुंजाइश देता है?

इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए संविधान की मूल प्रति, संविधान सभा की बहसों और भारतीय चिंतन परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। किसी संवैधानिक अवधारणा को समझने के लिए केवल उसके प्रचलित राजनीतिक अर्थ पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है; उसके ऐतिहासिक विकास, संवैधानिक प्रावधानों और निर्माताओं के विचारों को भी समझना चाहिए।

भारतीय संविधान केवल विधिक प्रावधानों का संकलन नहीं है। इसकी मूल हस्तलिखित एवं चित्रांकित प्रति भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा को भी अभिव्यक्त करती है। महान चित्रकार नंदलाल बोस के निर्देशन में तैयार इस प्रति को भारतीय कला, संस्कृति और सभ्यतागत परंपराओं से प्रेरित चित्रों से अलंकृत किया गया। इनमें भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी से संबंधित चित्र भी सम्मिलित हैं।

संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह तथ्य विचारणीय है कि स्वतंत्र भारत के संविधान की कलात्मक अभिव्यक्ति में भारतीय सभ्यता की विविध ऐतिहासिक परंपराओं को स्थान मिला। इससे यह समझना अधिक उपयुक्त है कि भारत की संवैधानिक यात्रा अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः विच्छिन्न नहीं थी। इसी संदर्भ में प्रश्न उठता है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा पूजा-अर्चना करना अपने आप में पंथनिरपेक्षता के विरुद्ध कैसे माना जा सकता है? इसका उत्तर संबंधित आचरण, उसके उद्देश्य, राज्य की भूमिका और संवैधानिक दायित्वों के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि केवल धार्मिक अभिव्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर।

भारतीय पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को समझने के लिए 27 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में हुई बहस विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। इस दिन एच. वी. कामथ ने राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप में संशोधन संख्या 1146 प्रस्तुत किया। उनका प्रस्ताव था कि शपथ के प्रारंभिक शब्दों में ईश्वर के नाम का उल्लेख करने का विकल्प उपलब्ध हो। वैकल्पिक रूप से व्यक्ति बिना धार्मिक उद्घोषणा के सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान कर सकता था।कामथ का तर्क था कि ईश्वर का उल्लेख करना अपने आप में किसी राज्य को धार्मिक राज्य नहीं बनाता। उन्होंने भारतीय धार्मिक परंपराओं के उदाहरण देते हुए कहा कि ईश्वर के प्रति आस्था विभिन्न समुदायों में अलग-अलग रूपों में व्यक्त होती है। उनके विचार में भारत के पंथनिरपेक्ष राज्य की कल्पना का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन से धार्मिक आस्था को पूरी तरह निषिद्ध कर दिया जाए। उन्होंने कहा भारत को आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर पहली चोट तब लगी जब सोमनाथ पर हमला हुआ।

इस बहस में महावीर त्यागी ने भी धार्मिक आस्था और पंथनिरपेक्ष राज्य के संबंध पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने उस धारणा पर आपत्ति जताई जिसके अनुसार पंथनिरपेक्ष राज्य में ईश्वर का उल्लेख वर्जित होना चाहिए। उनके विचार में पंथनिरपेक्षता का अर्थ किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात किए बिना राज्य का संचालन करना है, न कि नागरिकों की धार्मिक आस्था का निषेध करना। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रश्न उठाया कि यदि पंथनिरपेक्षता की व्याख्या इस प्रकार की जाए कि सार्वजनिक जीवन से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को पूरी तरह हटा दिया जाए, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्त्व रह जाएगा? उन्होंने अपनी बात को रामराज्य की अवधारणा से जोड़ते हुए कहा: राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है यदि 'रामराज्य' से भगवान को निकाल दिया गया तो भारत राम-विहीन अयोध्या बन जाएगा। इस कथन के माध्यम से त्यागी ने उस दृष्टिकोण पर प्रश्न उठाया जिसके अनुसार पंथनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिक प्रतीकों, आस्थाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को सार्वजनिक जीवन से पूर्णतः अलग कर देना है। उनके विचारों में स्वराज केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा और सांस्कृतिक चेतना की स्वतंत्रता से भी जुड़ा था। इस बहस का महत्त्व इस बात में है कि संविधान सभा के सदस्यों ने धार्मिक आस्था और पंथनिरपेक्ष राज्य के संबंध पर विचार-विमर्श किया। त्यागी ने भारत की आध्यात्मिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन और स्वराज की अपनी अवधारणा का उल्लेख करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता के व्यापक अर्थ पर विचार किया। उनके वक्तव्य का केंद्रीय भाव यह था कि भारत की स्वतंत्रता को उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

दशहरे पर पूजा-अर्चना को लेकर उठी बहस हमें संविधान के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने का अवसर देती है। संविधान की मूल प्रति में नंदलाल बोस द्वारा अंकित सांस्कृतिक चित्र और संविधान सभा में हुई बहसें हमें स्मरण कराती हैं कि भारत की संवैधानिक पहचान को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों-तीनों के संदर्भ में समझना चाहिए।भारतीय पंथनिरपेक्षता को समझने के लिए सांस्कृतिक विरासत का निषेध आवश्यक नहीं है।

-सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

जोधपुर रिफ का 20वां संस्करण शुरू, लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति

जोधपुर, (कासं)। लोक संगीत और कलाकारों को समर्पित राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (जोधपुर रिफ) का 20 वां संस्करण गुरुवार से शुरू हो गयाा। रिफ का आगाज आज सुबह वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क मसूरिया पहाड़ी पर बाल मेला व लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ किया गया। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस पांच दिवसीय रिफ में देश-विदेश के करीब 250 से अधिक कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव का आयोजन मुख्य संरक्षक पूर्व नरेश गजसिंह के संरक्षण में किया जा रहा है। वीर दुर्गादास मेमोरियल पार्क मसूरिया पहाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में कचपुड़ी, कच्छी घोड़ी, यंग राजस्थान, म्यूजिशियन राजस्थानी सर्कस, भपंग, बहरूपिया, गरासिया नृत्य, चरी नृत्य व डांडियां गेर आदि की प्रस्तुति दी गई। इस आयोजन में जोधपुर के विभिन्न स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सांय 7.30 से रात्रि 10 बजे तक मेहरानगढ़ दुर्ग पार्किंग एरिया में आयोजित नाइट कॉन्सर्ट में पारम्परिक राजस्थानी कलाकारों की लोक संगीत से लेकर फंक संगीत की शानदार परफॉर्मेन्स दी। जोधपुर रिफ महोत्सव के निदेशक दिव्य भाटिया ने बताया कि फेस्टिवल में विश्व के कई नामचीन संगीतकार व कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फेस्टिवल का समापन 26 अक्टूबर को होगा। इस पांच दिन के संगीत महोत्सव में शहरवासी व अन्य लोग ना केवल विश्व स्तरीय संगीत सुन पाएंगे बल्कि जड़ों को भी समझ पाएंगे। इस वर्ष महोत्सव अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है । इसमें छह महाद्वीपों के कलाकार, एक दर्जन से अधिक देशों के संगीतकार शामिल है।

राशिफल शुक्रवार 23 अक्टूबर, 2026

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत-2083, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 9:03 तक, धुव्र योग रात्रि 10:08 तक, बालव करण दिन 2:36 तक, चन्द्रमा आज दिन 3:04 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग रात्रि 9:03 से आरम्भ होगा। आज सायन वृश्चिक में सूर्य प्रवेश दिन 3:00 पर होगा। आज प्रदोष व्रत, पंचक है। आज हेमन्त ऋतु आरम्भ होगी और राष्ट्रीय कार्तिक मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर सूर्योदय से 7:59 तक, लाभ-अमृत 7:59 से 10:47 तक, शुभ 12:11 से 1:35 तक, चर 4:24 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल– 10:30 से 12:00 तक, सूर्योदय 6:34, सूर्यास्त 5:48

मेष
अपने आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों के लिए दिन के मध्यान्ह पूर्व तक का समय अच्छा रहेगा। दिन के मध्यान्ह पश्चात पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

वृष
व्यावसाय